Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

Dated 14-3-2018

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस तथा सैंजना गार्डन के लगभग 6.3 हैक्टर क्षैत्र में समस्त षि कार्य करने हेतु वार्षिक अनुबन्ध at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract proposal/2017-18/6
Date and Time for issue/Publishing	14-3-2018 at 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	15-3-2018 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	15-3-2018at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	02-4-2018 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	03-4-2018 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money Rs.6000.00 Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of TIN/TAN Number
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(387)एसपी / 2018 / दिनांकः14.3.2018

निविदा प्रपत्र सूची

संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस तथा सैंजना गार्डन के लगभग 6.3 हैक्टर क्षेत्र में समस्त कृ ि कार्य करने हेतु वार् िक अनुबन्ध

कार्य का विवरण

I. हर्बल गार्डन

(अ) **(2है0)**हर्बल गार्डन में लगायी गयी सभी औ ाधीय फसलों /पौधों की व ाभर आव यक ास्य क्रियायें सम्पन्न करना जैसे खरपतवार नियन्त्रण, कीट–रोग नियंत्रण हेतु दवा छिडकाव/उर्वरक देना एवं उत्पाद/उपज की कटाई, यातायात एवं संग्रहण करना ।सिचांई हेतु स्थापित बुन्द–बुन्द सिचांई पद्वति द्वारा एवं आवश्यकतानुसार टेक्टर टैकंर से करवानी होगी व ाभर पौधों को पानी पिलाना तथा टंकीयों को टयुबवेल चलाकर भरना। सिचांई प्रणाली का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखना।प्रक्षैत्रों को व ाभर साफ–सुथरा रखना, पौधों की निराई/गुडाई करना एवं औ ाधीय पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना।

(ब) **(1.3है0)**हैक्टर में नया हर्बल गार्डन तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार गड्ढे खोदना, खाद मिलाना, पौधे लगाना व ाभर पौधों की सिचांई करवाना, पौधों को पानी पिलाना तथा। सिचांई प्रणाली का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखना। प्रक्षैत्रों को व ाभर साफ–सुथरा रखना, पौधों की निराई/गुडाई करना एवं औ ाधीय पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। जब तक बुन्द–बुन्द सिचांई स्थापित नहीं होने तक नये लगाये गये पौधों की सिचांई टेक्टर टैकंर से करवानी होगी । 50 टेक्टर टोली मैंगनी की खाद भेड़ो के बाड़े से प्रक्षेत्र पर डलवाना होगा।

II. केक्टस गार्डन (1है0)

व ाभर खरपतवार रहित साफ–सुथरा रखना। केक्टस एवं सैंजना को खिलाई पिलाई एवं साईलेज हेतु आव यकतानुसार कटाई कर वांछित स्थान पर पहुॅंचांना। यदि आव यक हुआ तो फसल के मध्य रिक्त स्थान पर अतिरिक्त केक्टस लगाया जा सकता है एवं केक्टस से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना।

III. सैंजना गार्डन (2है0)

स्थापित सैंजना पौधों की नियमित व ाभर देखभाल, बुन्द–बुन्द सिंचाई करना, खरपतवार रहित रखना। खिलाई–पिलाई एवं साईलेज हेतु समय समय पर छंगाई कर वांछित स्थान पर पहुॅचाना। नये विकसित किये जा रहे क्षैत्र में सैंजना के लगभग 700 पौधें लगाने हेतु गडडे तैयार करना, खाद व उर्वरक देकर व ाभर बुन्द बुन्द सिंचाई कर रख–रखाव करना। भेड के बाडों से मेगंनी की खाद 30 टोली डालना, वांछित स्थानो पर थॅावलो व क्याारियों में डलवाना, काली मिटट्ी के साथ मिश्रण कर पेड पौधे हेतु गढडे तैयार करना व व ाभर रख रखाव कर प्रद िन हेतु तैयार रखना एवं सैंजना पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। पौधों की सिचांई टेक्टर टैकंर से भी आव यकतानुसार करवानी होगी ।

नोट : लगभग 20 टेक्टर टोली काली मिट्टी अविकानगर के नजदीकी तालाब से खोद कर लाना होगा (टेक्टर व टोली संस्थान से उपलब्ध करवायी जावेगी) । उपरोक्त तीनो गार्ड्नो में स्थित अन्य वृक्षों एवं रोड के निकट स्थित वृक्षों को को छगाई कर टहनियों एवं झाडियों को उठाकर वांछित स्थान पर डालना होगा । आव यकता पड़ने पर सेम्पलिंग कार्य हेतू मजदूर उपलब्ध करवाना होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में द ाायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूं कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में द ाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त द ाायी गई दरों पर संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस तथा सैंजना गार्डन के लगभग 6.3 हैक्टर क्षैत्र में समस्त कृ ि कार्य से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्टेक्ट /जॉब कोन्टेक्ट पर करने के लिये सहमत हूं। मैं यह वचन देता हूं कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त द ाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त द ाायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं विभागाध्यक्ष, प ाु पोषण या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्दे ाानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूंगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूंगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूं तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत रा ि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूं कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूंगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्टेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.

संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस तथा सैंजना गार्डन के लगभग 6.3 हैक्टर क्षैत्र में समस्त षि कार्य करने हेतु वार्षिक अनुबन्ध से सम्बन्धित कार्य करने के लिये नियम व शर्ते :

1. औषधीय, केक्टस एवं सैजंना गार्डन में बताये अनुसार पौध लगाना, लगे हुए पौधो की क्यारियो एवं नालियों की निराई–गुडाई करना, मैंगनी की खाद डालना। पुराने थावलां तथा क्याारियों की मरम्मत करना ।
2. स्थानीय पहाडी क्षैत्र से थोर काट/खोद कर लाने का कार्य स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा।
3. उक्त क्षेत्रों को वर्षभर खरपतवार रहित रखना होगा। पौधो ं की निराई–गुडाई का कार्य सफाई से करना होगा तथा अनुबन्ध की अवधि के दौरान क्षैत्र पूर्णरूप से खरपतवार रहित होना चाहिए।
4. सिंचाई हेतु स्थापित बुन्द–बुन्द सिचांई पद्वति द्वारा पौधो ं को पानी पिलाना तथा टयूब वेल बन्द करना तथा चलाकर टंकीयो ं को भरना तथा सिंचाई प्रणाली का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखना। आवश्यकतानुसार ड्रिप लगाना तथा प्रतिदिन सिंचाई से पुर्व ड्रिप पाईपो ं का निरीक्षण कर सही करना होगा।
5. पौधे लगाने हेतू थॉवले, क्यारिया तथा नालियॉ तैयार करनी होगी। स्थापित पौधे में 5% एवं नवस्थापित पौधों में 15% से अधिक मरने पर देय बिल से वांछित कटौती की जायेगी ।
6. कीटनाशक एवं फफुंदीनाशक छिड़कने से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य निर्धारित समय पर प्रभारी पशु पोषण विभाग या उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार पूरा करना होगा।
7. बेल वाले औषधीय पौधो ं को सहारा देने के लिये लकडी, बॉसं , अथवा जाली लगाना होगा इसके लिये मजदुरी अलग से देय नही होगी।
8. पौधे लगाने के समय गढडों में खाद व काली मिट्टी का मिश्रण डालना होगा तथा इस कार्य को वर्षभर निर्देशानुसार करना होगा।
9. विभाग की और से कार्य में लाये जाने वाले सामान जैसे– सिंचाई पाईप, पानी की टंकीया एवं अन्य बुन्द–बुन्द सिंचाई से सम्बन्धित सामान की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। सामान के गुम हो जाने पर बुक वेल्यु के हिसाब से भुगतान मे ं से कटौती कर ली जायेगी।
10. षि कार्यो में काम आने वाले श्रमिको ं तथा औजारो ं जैसे फावडा, खुरपी, कुदाली, कुल्हाडी, स्केटीयर तथा अन्य षि सम्बन्धित औजार का प्रबन्ध स्वंय अनुबन्धकर्ता को करना होगा।
11. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान, तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य की संतोषजनक सम्पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा। यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो भुगतान कार्य की मात्रा के अनुसार किया जावेगा।
12. पशु पोषण विभाग के अधीन अनुबन्ध के कार्यों को रोजाना सही एवं सुचारू रूप से अध्यक्ष, पशु पोषण विभाग व उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा।
13. वर्षभर के आधार पर एक मुश्त दिये गये कार्य का अनुबन्धित वर्ष में किये गये कार्य की मात्रा तथा गुणवता का आंकलन स्वयं अध्यक्ष ,पशु पोषण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा किये जाने के बाद भुगतान किया जायेगा। कार्य असन्तोषजनक रहने की स्थिति मे ं कटौती की जायेगी जिसकी जिम्मदोरी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
14. क्षैत्रों पर किसी भी समय विजिट हो सकती है इसके लिये स्वंय अनुबन्धकर्ता अथवा उनके द्वारा लगाये गये प्रतिनिधि को निर्देशानुसार उपस्थित रहना होगा।

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व ार्तेः</u>

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदे ा जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आव यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।
3. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
4. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदे ा प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना अध्यक्ष, प ु पोषण/तकनीकी अधिकारी से सम्पर्क करेगें

तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दि ाा–निर्दे ाानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत रा ि को भी जब्त किया जा सकता हैं।

5. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ ि ाष्टता का व्यवहार करना होगा।

6. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतो ाजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भवि य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।

7. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल रा ि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।

8. संबंधित वित्तीय व र् में या समय–समय पर होने वाले सं ाोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।

9. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

10. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर अध्यक्ष, प ु पोषण को प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

11. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति रा ि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अव यक करवा लें।

12. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।

13. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।

15. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्टेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्टेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

16. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदे ा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

17. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्युडि ियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

18. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

19. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।